रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 357] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 1981/कार्तिक 14, 1903
No. 357] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 1981/KARTIKA 14 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1981

सा०का०नि० 578(अ)--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय अभिप्रेत है ;

(ग) "विभागीय अभ्यर्थी" से ऐसे अधिकारी अभिप्रेत है जिन्हें आयोग के परामर्श से या विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है और जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को आकाशवाणी और दूरदर्शन के, सिविल सन्निर्माण पक्ष को छोड़कर, समूह "क" इंजीनियरी काडरों में पदों को धारण करते हैं या पदों पर धारणाधिकार रखते हैं;

(घ) "कर्तव्य पद" से, अनुसूची 1 में सम्मिलित कोई पद, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, अभिप्रेत है;

(च) "परीक्षा" से उन विभिन्न इंजीनियरी सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिये, जो आयोग द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किये जाये आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;

(छ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ;

(ज) "श्रेणी" से सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है,

(झ) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से उस श्रेणी में दीर्घकालीन नियुक्ति के लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और उसमें ऐसी अवधि या अवधियां भी सम्मिलित हैं जो—

(i) उन व्यक्तियों के मामलों में, जो सेवा के आरम्भिक गठन के समय नियुक्त किये गये थे, ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिये गणना में ली जाती है/हैं ;

(2) जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में कर्तव्य पद धारण करता यदि वह छुट्टी पर न होता या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिये उपलब्ध न होता;

(ञ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(ट) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" से क्रमश वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में उनके हैं।

(ठ) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा अभिप्रेत है।

3 भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा का गठन --

(1) भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा के नाम से ज्ञात एक सेवा का गठन किया जायेगा, जिसमें नियम 6 और 7 के अधीन सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्ति होंगे।

(2) सेवा में सम्मिलित सभी पदों को समूह "क" पद के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

(3) सेवा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन (टेलीविजन इंडिया) के लिये इंजीनियरी सेवा में समूह "क" पदों के काडर के लिये सामान्य होगी।

4 श्रेणी, प्राधिकृत संख्या और उसका पुनर्विलोकन --

(1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किये गये कर्तव्य पद, उनकी संख्या और उनके वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, विभिन्न श्रेणियों में कर्तव्य पदों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विहित की जाये।

(3) सरकार, विभिन्न श्रेणियों के कर्तव्य पदों की संख्या में, समय समय पर जैसा ठीक समझे, अस्थायी परिवर्तन कर सकेगी या कमी कर सकेगी।

(4) सरकार, आयोग के परामर्श से, अनुसूची 1 में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी पद को सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगी।

(5) सरकार, आयोग के परामर्श से, किसी ऐसे अधिकारी को, जिसका पद इस नियम के उपनियम (4) के अधीन सेवा में सम्मिलित कर लिया गया है, सेवा की समुचित श्रेणी में, अस्थायी हैसियत से या अधिष्ठायी हैसियत से जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी और सदृश श्रेणी में लगातार नियमित सेवा को गणना में लेने के पश्चात् उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी।

5 सेवा के सदस्य :--

(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे :--

(क) नियम 6 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्ति, और

(ख) नियम 7 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्ति।

(2) वह व्यक्ति जो उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किया जाता है, ऐसी नियुक्ति पर, अनुसूची 1 में उसको लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य माना जायेगा।

(3) वह व्यक्ति जो उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त किया जाता है, ऐसी नियुक्ति की तारीख से, अनुसूची 1 में उसको लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।

6 सेवा का आरम्भिक गठन :--

(1) सभी विभागीय अभ्यर्थी जो 2500-3000 रु०, 1100-1600 रु० और 700-1300 रु० के वेतनमान में पद धारण किये हुए हैं, उन नियमों के प्रारंभ की तारीख से, सेवा में तत्संबंधी पदों पर और श्रेणियों में नियुक्त किये गये समझे जायेंगे।

(2) आयोग एक चयन समिति का गठन करेगा जिसका अध्यक्ष आयोग का अध्यक्ष या सदस्य होगा और जिसमें दो से अनधिक समुचित प्रास्थिति के प्रतिनिधि नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। चयन समिति, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को 2000-2250 रु०, 1800-2000 रु० और 1500-1800 रु० के वेतनमान वाले पदों को धारण कर रहे विभागीय अभ्यर्थियों की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट सेवा के क्रमश: ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (स्तर II) कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में के पदों पर नियुक्ति के लिये उपयुक्तता पर विचार करेगी और ऐसी नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाए गए अधिकारियों की एक सूची तैयार करेगी और उसे आयोग को प्रस्तुत करेगी। उस सूची के प्राप्त होने पर आयोग विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाए गए अधिकारियों की नियुक्ति के लिये अपनी सिफारिश नियंत्रण प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा परन्तु यह कि आयोग ऐसी सिफारिश करते समय, यह सिफारिश भी कर सकेगा कि किसी श्रेणी में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए अधिकारी यदि उस श्रेणी में रिक्तियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो उन्हीं पदों को धारण किये रहेंगे जिन्हें वे इन नियमों के प्रारंभ के समय धारण किये थे और इस प्रयोजन के लिये ऐसे पदों को तब तक सेवा से अपवर्जित किया गया समझा जायेगा जब तक कि ऐसे अधिकारी उक्त पदों को धारण किये रहेंगे।

स्पष्टीकरण --आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति से चयन समिति की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।

(3) नियम 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपनियम (2) के परन्तुक में निर्दिष्ट अधिकारियों को यदि आयोग की सिफारिशों की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान उक्त श्रेणियों में रिक्तियां होती हैं तो, उस श्रेणी में, जिसके लिये उनकी सिफारिश की गई थी, नियुक्त किया जायेगा।

(4) उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट ऐसे विभागीय अधिकारी, जो सेवा में आमेलित किये जाने के इच्छुक नहीं है, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, उस बारे में नियंत्रक प्राधिकारी को संसूचित करेंगे और उसके पश्चात्, वे, इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व उनके द्वारा धृत पदों को धारण किये हुए समझे जायेंगे और ऐसे पदों को तब तक सेवा से अपवर्जित किया गया समझा जायेगा जब तक कि वे उक्त पदों को धारण किये रहेंगे।

(5) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जो सेवा में, उसके आरम्भिक गठन पर आमेलित नहीं किये गये है उन पदों को धारण किये रहेंगे, जिन पर वे नियमित रूप से नियुक्त किये गये थे और इस प्रयोजन के लिये, ऐसे पदों को तब तक सेवा से अपवर्जित किया गया समझा जायेगा जब तक कि वे उक्त पदों को धारण किये रहते हैं।

(6) नियम 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे विभागीय अभ्यर्थी पर, जो उपनियम (3) में निर्दिष्ट है और सेवा में जिन्हें उसके आरम्भिक गठन पर उसमें अधिकथित अवधि के दौरान आमेलित नहीं किया जाता है और जो उपनियम (5) में निर्दिष्ट है, तत्पश्चात् सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग के परामर्श से नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और सेवा की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थियों की उपयुक्तता एक चयन समिति द्वारा अवधारित की जाएगी जो उसी रीति में गठित की जाएगी जो उपनियम (2) में उपबंधित है।

स्पष्टीकरण :— आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति से, चयन समिति की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।

(7) उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट विभागीय अभ्यर्थियों की सेवा में उनकी नियुक्ति के पूर्व की गई नियमित लगातार सेवा, परिवीक्षा अवधि, और सेवा में प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी।

(8) उस सीमा तक जिस तक नियंत्रक प्राधिकारी, इस नियम के उपबंधों के अनुसार, सेवा की विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत नियमित संख्या को भरने में समर्थ नहीं हो जाता है, उसे नियम 7 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

7. सेवा का भावी अनुरक्षण

(1) नियम 6 में यथाउपबंधित सेवा के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी श्रेणी में कोई रिक्ति होने पर, उसे इसमें इसके पश्चात् उस नियम के अधीन उपबंधित रीति में भरा जाएगा।

(2) कनिष्ठ वेतनमान की अधिष्ठायी रिक्तियों का 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, अनुसूची 2 में निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताओं और आयु सीमा के आधार पर आयोग द्वारा संचालित किसी प्रतियोगिता परीक्षा और आयोग के परामर्श से, समय समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी परीक्षा स्कीम के परिणामस्वरूप सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। अधिष्ठायी रिक्तियों का शेष 50 प्रतिशत और सभी अस्थायी रिक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा, गुणागुण के चयन के आधार पर, प्रोन्नति के संभुगत क्षेत्र से ज्येष्ठता के क्रम में उस श्रेणी के लिए सूची में सम्मिलित किए गए और अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा वाले अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।

(3) ज्येष्ठ वेतनमान में और ऊपर के पदों पर सेवा में नियुक्तियां अगली निम्नतर श्रेणी के ऐसे अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा की जाएंगी, जिन्होंने अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा की है।

(4) प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन, ज्येष्ठ वेतनमान और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) के पदों पर प्रोन्नति की दशा को छोड़कर जहां प्रोन्नति अनुपयुक्तता पर अस्वीकृति के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के क्रम में की जाएगी, अनुसूची 4 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा।

8. ज्येष्ठता :

(1) सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय नियम 6 के अनुसार किसी श्रेणी में नियुक्त किए गए सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता उन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को अधिप्राप्य उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता के द्वारा शासित होगी परन्तु यदि उक्त तारीख पर किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई थी तो उस ज्येष्ठता को सरकार के अधीन समरूप सेवाओं के सदस्यों को लागू नियमों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अवधारित की जाएगी।

(2) नियम 6 के अधीन सेवा में किसी भी श्रेणी में सम्मिलित किए गए सभी स्थायी अधिकारी उन सभी अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जो तत्पश्चात् उस श्रेणी में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं और सेवा के प्रारम्भिक गठन पर किसी भी श्रेणी में सम्मिलित किए गए सभी अस्थायी अधिकारी, तत्पश्चात् उस श्रेणी में नियुक्त किए गए सभी अस्थायी अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे।

(3) प्रारम्भिक गठन के पश्चात् सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता, उस संबंध में सरकार द्वारा, समय समय पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(4) उन मामलों में, जो उपर्युक्त उपबंधों के अन्तर्गत नहीं आते हैं ज्येष्ठता आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

9. परिवीक्षा : कनिष्ठ वेतनमान में, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा, सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

परन्तु यह कि नियंत्रक प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों, परिवीक्षा की अवधि बढ़ा या घटा सकेगा।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा की अवधि के विस्तार के लिए कोई भी विनिश्चय, परिवीक्षा की पूर्व अवधि की समाप्ति के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों सहित संबद्ध अधिकारी को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तार के पूरा होने पर अधिकारियों को, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उनकी नियुक्तियों में उन्हें नियमित आधार पर प्रतिधारित किया जाएगा और उनको यथास्थिति, उपलब्ध अधिष्ठायी रिक्तियों में सम्यक अनुक्रम में पुष्टि की जाएगी।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार, यथास्थिति अभ्यर्थी की सेवा से निर्मुक्त कर सकती है, या उसे सेवा में नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा धृत पद पर पदावनत कर सकती है या ऐसा आदेश दे सकती है जो वह ठीक समझे।

(4) परिवीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, सरकार अभ्यर्थी, से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह परिवीक्षा के संतोषजनक रूप से पूरा करने की एक शर्त के रूप में, ऐसा प्रशिक्षण अनुदेश, पाठ्यक्रम पूरा करे और ऐसी परीक्षाएं तथा परीक्षण (जिनके अन्तर्गत हिन्दी की परीक्षा भी है) उत्तीर्ण करे जो सरकार ठीक समझे।

10. सेवा में नियुक्ति :— सेवा की विभिन्न श्रेणियों के सभी पदों पर सभी नियुक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी चाहे वे आकाशवाणी में हों या दूरदर्शन में।

11. भारत के किसी भी भाग में सेवा के लिए दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें :

(1) सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी, भारत में कहीं पर भी या भारत से बाहर सेवा करने के लिए दायी होंगे।

(2) सेवा में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर, कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए, यदि कोई है, व्यतीत की गई अवधि भी है, सेवा करने के लिए दायी होगा, परन्तु यह कि ऐसे अधिकारी से—

(क) सेवा में उसकी नियुक्ति की तारीख से या सेवा के प्रारम्भिक गठन के पूर्व कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथापूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ख) यदि उसने 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो सामान्यतः यथापूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) उन मामलों की बाबत जिनके विषय में इन नियमों के उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें वही होंगी जो साधारण रूप में केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों को समय समय पर लागू होती हैं।

12. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

13. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

15. निर्वचन : यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो उसे सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

निरसन :—आकाशवाणी (वर्ग 1-इंजीनियरी पद) भर्ती नियम 1971 और आकाशवाणी (वर्ग 1 और वर्ग 2 इंजीनियरी पद), भर्ती नियम 1972 जहां तक वे उन पदों से संबंधित हैं जिन्हें ये नियम लागू होते है इसके द्वारा निरसित किए जाते है :

परन्तु यह कि ऐसा निरसन, ऐसे निरसन, से पूर्व उक्त नियमों के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई पर प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची 1

[नियम 4 का उपनियम (1) देखें]

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किए गए कर्तव्य पदों का नाम, उनकी संख्या और वेतनमान

क्र० सं०	श्रेणी	पदों की संख्या			वेतनमान
1	2	3			4
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1.	प्रमुख इंजीनियर	1	—	1	2500-125/2-3000 रु०
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर 2	7	—	7	2250-125/2-2500 रु०
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी)	14	--	14 } 71	2000-125/2-2250 रु०
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	57	--	57 }	1500-60-1800-100-2000 रु०
5.	ज्येष्ठ वेतनमान	200	--	200	1100 (छठे वर्ष या उसके नीचे)-50-1600 रु०
6	कनिष्ठ वेतनमान	210	197	407	700-40-900-द० रो०-40-100-50-1300 रु०

टिप्पण : कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) अक्रत्यकारी है और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या क्रम संख्यांक (3) और (4) के पदों को मिलाकर उनकी कुल संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची 2

[नियम 7 का उपनियम (2) देखें]

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम पर भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा में सम्मिलित किए गए समूह "क" कनिष्ठ वेतनमान के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और आयु सीमा।

अभ्यर्थी के पास—

(1) (i) भारत में केन्द्रीय या राज्य विधायन के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय से, या

(ii) संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय समझे जाने के लिए घोषित किसी शैक्षिक संस्था से इंजीनियरी में उपाधि होगी।

या

(iii) ऐसी अन्य अर्हताएं होंगी जिन्हें परीक्षा में प्रवेश के लिए सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, या

(iv) किसी विदेशी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था से और ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें रहते हुए जिन्हें सरकार इस प्रयोजन के लिए समय समय पर मान्यता दें, इंजीनियरी में उपाधि/डिप्लोमा होगा।

टिप्पण 1 : "आपवादिक मामलों में आयोग किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसके पास उपर्युक्त में से कोई भी अर्हताएं न हो, शैक्षिक रूप से अर्हित मान सकेगा परन्तु यह तब जब कि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उसके किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिसका स्तर आयोग की राय में परीक्षा में उसका प्रवेश उचित ठहराता है।

टिप्पण 2 : ऐसा अभ्यर्थी भी जो किसी ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से जिसे सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है उपाधि धारण करने के कारण अन्यथा अर्हित है आयोग को आवेदन कर सकेगा और आयोग के विवेक पर परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(2) उस वर्ष की जिसमें परीक्षा ली जाती है, 1 अगस्त को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किन्तु 27 वर्ष की आयु अभिप्राप्त न की हो।

अनुसूची 3

[नियम 7 का उपनियम (2), (3), (4) देखिए]

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किए गए कर्तव्य पदों में प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और अगली निम्नतर श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा

क्रम संख्या श्रेणी	भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति के लिए चयन क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
1. प्रमुख इंजीनियर	प्रोन्नति द्वारा	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (स्तर 2) के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की है।
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (स्तर -2)	प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 7 वर्ष सेवा की है जिसके अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) में की गई सेवा, यदि कोई है, भी है।
3. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी)	ज्येष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	ऐसे अधिकारी जो कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में 2000 रु० की स्थिति तक पहुंच गए हैं और कम से कम उस स्थिति में दो वर्ष तक रहे हैं।
4. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	प्रोन्नति द्वारा	ज्येष्ठ वेतनमान में के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।
5. ज्येष्ठ वेतनमान	ज्येष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	कनिष्ठ वेतनमान में के ऐसे अधिकारी जिन्होंने इस विषय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है।
6. कनिष्ठ वेतनमान	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (ii) 50 प्रतिशत नियम 7 के उपनियम (2) के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा	आकाशवाणी/दूर दर्शन के ऐसे सहायक इंजीनियर सिविल सन्नि माणि पक्ष को सहायक इंजीनियर छोड़कर जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।

अनुसूची 4

[नियम 7 का उपनियम (4) देखें]

भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा में सम्मिलित किए गए समूह "क" पदों पर प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

क्रम संख्या पद का नाम	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "क" वि० प्रो० स०		पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह "क" वि० प्रो० स०	
1. प्रमुख इंजीनियर	1. अध्यक्ष/सदस्य, सं० लो० से० आ० 2. सचिव, सू० और प्र० मंत्रालय 3. महानिदेशक, आकाशवाणी	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य	1. सचिव, सू० और प्र० मंत्रालय 2. महानिदेशक, आकाशवाणी	—अध्यक्ष — सदस्य
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (स्तर- 2)	1 अध्यक्ष/सदस्य, सं० लो० से० आ० 2. सचिव, सू० और प्र० मंत्रालय. 3. प्रमुख इंजीनियर	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य	1. सचिव, सू० और प्र० मंत्रालय 2. संयुक्त सचिव, सू० और प्र० मंत्रालय 3. प्रमुख इंजीनियर	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य
3. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी)	1. संयुक्त सचिव, सू० और प्र० मंत्रालय 2. प्रमुख इंजीनियर 3. मुख्य इंजीनियर	—अध्यक्ष —सदस्य सदस्य	1. संयुक्त सचिव, सू० और प्र० मंत्रालय 2. प्रमुख इंजीनियर 3. मुख्य इंजीनियर	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य
4. कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	1. अध्यक्ष/सदस्य, सं० लो० से० आ० 2 संयुक्त सचिव, सू० और प्र० मंत्रालय. 3. प्रमुख इंजीनियर	—अध्यक्ष —सदस्य — सदस्य	1 संयुक्त सचिव, सू० और प्र० मंत्रालय 2 प्रमुख इंजीनियर 3 मुख्य इंजीनियर	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य
5. ज्येष्ठ वेतनमान	1. प्रमुख इंजीनियर 2. उपसचिव सू० और प्र० मंत्रालय 3. मुख्य इंजीनियर	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य	1. प्रमुख इंजीनियर 2 उपसचिव सू० और प्र० मंत्रालय 3 मुख्य इंजीनियर	—अध्यक्ष — सदस्य —सदस्य

1	2	3	4	5
6. कनिष्ठ वेतनमान	1 अध्यक्ष/सदस्य, सं० लो० से० आ०	—अध्यक्ष	1. अध्यक्ष/सदस्य, सं० लो० से० आ०	—अध्यक्ष
	2 संयुक्त सचिव, सू० और प्र० मंत्रालय	—सदस्य	2. संयुक्त सचिव, सू० और प्र० मंत्रालय	—सदस्य
	3. प्रमुख इंजीनियर	—सदस्य		

टिप्पण : 1 आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति से आयोग की कार्यवाही यदि समिति के आधे से अधिक सदस्यों ने उसके अधिवेशन में भाग लिया है जो अविधिमान्य नहीं होगी।

टिप्पण . 2 पुष्टि से संबंधित वि० प्रो० सं० की कार्यवाही आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु यदि आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो सं० लो० से० आ० के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में वि० प्रो० सं० की बैठक फिर से होगी।

टिप्पण : 3 यदि सेवा में किसी पद पर नियुक्त किए गए किसी अधिकारी पर उच्चतर पद में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए विचार किया जाता है तो श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी उनकी अपेक्षित वर्षों की सेवा के न होने पर भी, विचार किया जाएगा।

[सं० 31/1/81-बी (डी)]
शरद उपासनी, संयुक्त सचिव

No. 301/1/81-B (D)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 1981

G.S.R. 578(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in that behalf, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Broadcasting (Engineers) Services Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting;

(c) "Departmental Candidates" means officers who have been appointed on regular basis in consultation with the Commission or on the recommendations of a Departmental Promotion Committee and who hold posts or hold liens on posts in Group-A engineering cadres in Akashvani and Doordarshan, excluding Civil Construction Wing on the date of commencement of these rules,

(d) "Departmental Promotion Committee" meant a committee constituted to consider promotion and confirmation in any grade;

(e) "duty post" means any post, whether permanent or temporary, included in Schedule I;

(f) "examination" means a Combined Competitive Examination conducted by the Commission for recruitment to various Engineering Services/posts as maybe specified by the Commission from time to time;

(g) "Government" means the Government of India,

(h) "grade" means a grade of the service;

(i) "regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection according to the prescribed procedure for long term appoinment to that grade and includes any period for periods—

(i) taken into account for purpose of seniority in case of those appointed at the initial constitution of the Service;

(ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;

(j) "Schedule" means a Schedule to these rules;

(k) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall respectively have the same meaning as assigned to them respectively in clauses (24) and (25) of Artlcle 366 of the Constitution;

(l) "Service" means the Indian Broadcasting (Engineers) Service constituted under rule 3;

3. Constitution of the Indian Broadcasting (Engineers) Service:—(1) There shall be constituted a Service known as the Indian Broadcasting (Engineers) Service consisting of persons appointed to the Service under rules 6 and 7.

(2) All the posts included in the Service shall be classified as Group 'A' posts.

(3) The Service shall be common for the cadre of Group 'A' posts in the Engineering Service for Akashvani (All India Radio) and Doordarshan (Television India) under the Ministry of Information and Broadcasting.

4. Grades, authorised strength and its review.—(1) The duty posts included in the various grades of the service, their numbers and scales of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule I.

(2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the duty posts in various grades shall be such as may, from time to time be determined by Government.

(3) Government may, make temporary additions or deletions to the strength of the duty posts in various grades at deemed necessary from time to time.

(4) Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any posts other than those included in Schedule I or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

(5) Government may, in consultation with the Commission appoint an officer whose post is included in the service under sub-rule (4) of this rule to the appropriate grade of the service in a temporary capacity or in a substantive capacity as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade

5. Members of the Service.—(1) The following persons shall be the members of the service:

(a) persons appointed to duty posts under rule 6, and

(b) persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I from the date of such appointment.

6. Initial constitution of the Service.—(1) All Departmental Candidates holding posts in the scales of Rs. 2500-3000, Rs. 1100-1600 and Rs. 700-1300 shall, from the date of commencement of these rules, be deemed to have been appointed to the corresponding posts and grades in the Service.

(2) The Commission shall constitute a Selection Committee with the Chairman or Member of the Commission as President and not more than two representatives of appropriate status to be nominated by the Controlling Authority. The Selection Committee shall determine the suitbility of Departmental Candidates holding, on the date of commencement of these rules, posts in the scales of Rs. 2000-2250, Rs. 1800-2000 and Rs. 1500-1800 for appointment to posts in the Senior Administrative Grade (Level-II), Junior Administrative Grade (Selection Grade) and Junior Administrative Grade respectively of the service referred to in Schedule I, and prepare a list of officers considered suitable for such appointment and submit the same to the Commission. On receipt of the said list the Commission shall forward its recommendation for appointment of the officers found suitable to various grades to the Controlling Authority:

Provided that the Commission may, while making such recommendation, include a recommendation that officers considered suitable for appointment to a grade shall, if sufficient number of vacancies are not available in that grade continue to hold the posts held by them before the commencement of these rules and for this purpose, such posts shall be deemed to have been excluded from the service so long as such officers continue to hold the said posts.

Explanation : The absence of a Member other than the Chairman or a Member of the Commission shall not invalidate the proceedings of the Selection Committee.

(3) Notwithstanding anything contained in rule 7, officers referred to in the proviso to sub-rule (2), shall, if vacancies arise in the said grades during a period of one year from the date of recommendations of the Commission, be appointed to the grade for which they were recommended.

(4) Departmental Candidates referred to in sub-rules (1) and (2), who do not desire to be absorbed in the service shall within a period of three months from the date of commencement of these rules, communicate the same in writing to the Controlling Authority and they shall thereafter and subject to the other provisions of these rules, be deemed to continue to hold the posts held by them immediately before the commencement of these rules and for this purpose such posts shall be deemed to have been excluded from the Service for so long as they hold the said posts

(5) Such of the Departmental Candidates, referred to in sub-rule (2), who are not absorbed in the Service at its initial constitution, shall continue to hold the posts to which they were appointed regularly, and, for this purpose, such posts shall be deemed to have been excluded from the Service for so long as they hold the said posts.

(6) Notwithstanding anything contained in rule 7, the Departmental Candidates referred to in sub-rule (3) who are not absorbed in the Service at its initial constitution during the period laid down therein and those in sub-rule (5), may be considered by the Controlling Authority for appointment to the Servic subsequently in consultation with the Commission and the suitability of such candidates for appointment to various grades of the Service shall be determined by a Selection Committee which shall be constituted in the same manner as provided in sub-rule (2).

Explanation : The absence of a Member other than the Chairman or a Member of the Commission shall not invalidate the proceedings of the Selection Committee.

(7) The regular continuous service of Departmental Candidates referred to in sub-rules (1) and (2) prior to their appointment to the Service shall count for the purpose of probation period qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

(8) To the extent the Controlling Authority is not able to fill the authorised regular strength of various grades in the Service, in accordance with the provisions of this rule, the same shall be filled in accordance with the provisions of rule 7.

7. Future maintenance of the Service.—(1) Any vacancy arising in any of the grades referred to in Schedule I after the initial constitution of the service as provided in rule 6, shall be filled in the manner hereinafter provided under this rule.

(2) 50 % of the substantive vacancies in the Junior Scale shall be filled by direct recruitment on the results of a Competitive Examination conducted by the Commission on the basis of the educational qualifications and age limit specified in Schedule II and any scheme of examination that may be notified by Government, in consultation with the Commission, from time to time. The remaining 50 % of the substantive vacancies and all temporary vacancies shall be filled by the Controlling Authority, by promotion of officers on the basis of selection on merit and included in a panel for the said grade in the order of seniority from the relevant field of promotion and the minimum qualifying service as specified in Schedule III.

(3) Appointments in the Service to posts in Senior Scale and above shall be made by promotion from amongst the Officers in the next lower grade with the minimum qualifying service as specified in Schedule III.

(4) The selection of officers for promotion shall be made by selection on merit, except in the case of promotion to the posts in Senior Scale and Junior Administrative Grade (Selection Grade) which shall be in the order of seniority subject to rejection of the unfit, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule IV.

8. Seniority :—(1) The relative seniority of members of the the Service appointed to any grade in accordance with rule 6 at the time of initial constitution of the Service, shall be governed by their relative seniority obtaining on the date of commencement of these rules provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be as determined by the Government in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms, in accordance with the rules applicable to members of similar Services under Government.

(2) All permanent officers included in the Service under rule 6 in any grade shall rank senior to all officers substantively appointed to that grade subsequently and all temporary officers included in the initial constitution of the Service in any grade shall rank senior to all temporary officers appointed to that grade subsequently.

(3) The seniority of personns recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by Government in the matter from time to time.

(4) In cases not covered by the above provisions, seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

9. Probation : (1) Every officer on appointment to the Service either by direct recruitment or by promotion in Junior Scale shall be on probation for a period of two years;

Provided that the Controlling Authority may extend or curtail the period of probation in accordance with the instructions issued by Government from time to time;

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the candidate to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be, or pass such orders as they deem fit.

(4) During the period of probation or any extension thereof candidates may be required by Government to undergo such course of training and instructions and to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

10. Appointment to the Service :—All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority for all the posts in various grades of the Service, whether in 'Akashvani' or in 'Doordarshan'.

11. Liability for service in any part of India and other conditions of service : (1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) Any officer appointed to the Service, if so required, shall be liable to serve in any Defence Service or a post connected with the defence of India, for a period of not less than four years, including the period spent on training, if any, provided that such officer

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of 10 years from the date of his appointment to the Service or from the date of his joining prior to the initial constitution of the Service.

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of 40 years.

(3) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of Central Civil Services in general.

12. Disqualifications : No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the Service;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. Power to relax : Where Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons for posts.

14. Saving : Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for presons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time.

15. Interpretation : If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be decided by Government.

16. Repeal : The All India Radio (Class I Engineering posts) Recruitment Rules, 1971 and the All India Radio (Class I and Class II Engineering posts) Recruitment Rules, 1972, in so far as they relate to posts to which these rules apply are hereby repealed :

Provided that such repeal shall not effect anything done or action taken under the said rules, before such repeal.

SCHEDULE—I

[See sub-rule (1) of rule 4]

Name, Number and Scale of Pay of Duty Posts Included in the Various Grades of the Indian Broadcasting (Engineers) Service.

Sl. No.	Grade	No. of posts Pt.	Temp.	Total	Scale of pay
1.	Engineer-in-Chief	1	—	1	Rs. 2500-125/2-3000
2.	Senior Administrative Grade Level II	7	—	7	Rs. 2250-125/2-2500

1	2	3			4
3. Junior Administrative Grade (Selection Grade)	14	—	14	Rs. 2000-125/2-2250
4. Junior Administrative Grade	57	—	57	Rs. 1500-60-1800-100-2000.
5. Senior Scale	200	—	200	Rs. 1100 (6th year or under)-50-1600.
6. Junior Scale	210	197	407	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300.

Note :—The Junior Administrative Grade (Selection Grade) is non-functional and the maximum number of posts in this grade shall not exceed 20% of the total posts in the grades at Sl. No. (3) and (4) together.

SCHEDULE-II

[See sub rule (2) of rule 7]

Minimum educational qualifications and age limits for direct recruitment to posts in Group 'A' in the Junior Scale included in the Indian Broadcasting (Engineers) Service on the results of the Competitive Examination to be conducted by the Union Public Service Commission.

A candidate shall possess :—

(1) a Degree in Engineering from :—

(i) a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India, or

(ii) an educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, or

(iii) possessing such other qualifications as have been recognised by Government for the purpose of admission to the examination, or

(iv) a Degree/Diploma in Engineering from such foreign Universities, Colleges or Institutions and under such conditions as may be recognised by Government for the purpose from time to time.

Note : 1. In exceptional cases, the Commission may treat candidate not possessing any of the above qualifications as educationally qualified provided that the Commission is satisfied that he has passed examinations conducted by other Institutions, the standard of which, in the opinion of the Commission, justifies his admission to the Examination,

Note : 2. A candidate who is otherwise qualified by virtue of his having taken a Degree from a foreign University which is not recognised by Government, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission;

2. Attained the age of 20 years but shall not have attained the age of 27 years on the first day of August, of the year in which the examination is held.

SCHEDULE-III

[See sub-rule (2), (3), (4) of rule 7]

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Broadcasting (Engineers) Service

S. No.	Grade	Method of recruitment	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion
1	Engineer-in-Chief.	By promotion.	Officers in the Senior Administrative Grade (Level-II) with 2 years regular service in the grade.
2	Senior Administrative Grade (Level-II)	By Promotion.	Officers in the Junior Administrative Grade with 7 years service in the grade including service, if any, rendered in the grade of Junior Administrative Grade (Selection Grade) and the erstwhile grade of Rs. 1500-1800 and Rs. 1800-2000.
3	Junior Administrative Grade (Selection Grade)	By promotion on the basis of seniority-cum-fitness.	Officers who have reached the stage of Rs 2000/- in the Junior Administrative Grade and have stagnated for not less than 2 years.
4.	Junior Administrative Grade.	By promotion.	Officers in the senior scale with 5 years regular service in the grade.
5.	Senior scale.	By promotion on the basis of seniority-cum-fitness.	Officers in the Junior scale with 4 years regular service in the grade in accordance with instructions issued by the Min of Finance on the subject.
6.	Junior scale.	(i) 50% by promotion.	Assistant Engineers of the Akashvani/Doordarshan excluding those in Civil Construction Wing with 3 years regular service in the grade.
		(ii) 50% by direct recruitment in accordance with sub-rule (2) of rule 7.	

SCHEDULE—IV

[See sub-rule (4) of rule 7]

Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation of Group 'A' posts included in the Indian Broadcasting (Engineers) Service.

Sl. No.	Name of the post	Group 'A' D.P.C. (for considering promotion)	Group 'A' D.P.C. (for considering confirmation)
1.	Engineer-in-Chief.	1. Chairman/Member, UPSC—Chairman. 2. Secretary, M/O I & B—Member. 3. Director General, AIR—Member.	1. Secretary, Min. of I & B—Chairman. 2. Director General, AIR—Member.
2.	Senior Administrative Grade (Level-II).	1. Chairman/Member, UPSC—Chairman. 2. Secretary, M/O I & B—Member. 3. Engineer-in-Chief—Member.	1. Secretary, M/O I & B—Chairman. 2. Jt. Secretary, M/O I & B—Member. 3. Engineer-in-Chief—Member.
3.	Junior Administrative Grade (Selection Grade).	1. Jt. Secretary, M/O I & B—Chairman. 2. Engineer-in-Chief—Member. 3. Chief Engineer—Member.	1. Jt. Secretary, M/O I & B—Chairman. 2. Engineer-in-Chief—Member 3. Chief Engineer—Member.
4.	Jr. Administrative Grade.	1. Chairman/Member, UPSC—Chairman. 2. Jt. Secretary M/O I & B—Member. 3. Engineer-in-Chief—Member.	1. Jt. Secretary, M/O I & B—Chairman. 2. Engineer-in-Chief—Member. 3. Chief Engineer—Member.
5.	Sr. Scale.	1. Engineer-in-Chief—Chairman. 2. Dy. Secretary, M/O I & B—Member. 3. Chief Engineer—Member.	1. Engineer-in-Chief—Chairman. 2. Dy. Secretary, M/O I & B—Member. 3. Chief Engineer—Member.
6.	Jr. Scale.	1. Chairman/Member, UPSC—Chairman. 2. Jt. Secretary, M/O I & B—Member. 3. Engineer-in-Chief—Member.	2. Engineer-in-Chief—Chairman. 2. Jt. Secretary, M/O I & B—Member. 3. Chief Engineer—Member.

Note 1 : The absence of a Member, other than the Chairman or a Member of the Commission shall not invalidate the proceedings of the Committee, if more than half the Members of the Committee had attended its meetings.

Note 2 : The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

Note 3 : If an officer appointed to any post in the Service is considered for the purpose of promotion to a higher post all persons [illegible] to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite number of years of service.

[No. 301/1/81-B(D)]
S.P. UPSANI Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981